राजू बनाम सुल्तान वगै0

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 2017/ 00529

19.02.2021	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील दिनांक 05.06.2015 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गयी थी । दिनांक 05.06.2015 को अभिभाषक पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हो पाये । प्रार्थीगण ज्वर से पीडित थे इस कारण उपस्थित नहीं हो पाये । अभिभाषक ने उन्हें सूचना नहीं दी । अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किया गया है । मात्र एक प्रार्थी राजू के द्वारा पेश किया गया है, शेष दोनों प्रार्थियों का नाम तो शीर्षक में अंकित है परन्तु उनकी तरफ से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । दिनांक 05.01.2021 की लिखित बहस में प्रार्थीगण के ज्वर से पीडित होने का कथन किया गया है जबकि मूल प्रार्थना पत्र में राजू के ज्वर से पीडित होने का कथन किया गया है । ज्वर से पीडित होने का कथन असत्य है उन्होंने डॉक्टर का कोई चिकित्सकीय प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1978 पेज 432, आरआरडी 1986 पेज 22, आरआरडी 1990 पेज 445, डीएनजे 2005 पेज 821 उद्वरत की। हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी ने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2015 के आदेश के खिलाफ दिनांक 18.09.2017 को पेश किया गया है जो विलम्ब से पेश किया गया है और प्रार्थना पत्र सिर्फ राजू अपीलान्ट क्रम 01 की तरफ से पेश किया गया है। शेष अपीलान्टगण की ओर से पेश नहीं किया गया है । धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी सिर्फ राजू की ओर से पेश किया गया है । अपील 03 अपीलान्ट के द्वारा पेश की गई है । ऐसी स्थिति में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र भी तीनों के द्वारा पेश किया जाना आवश्यक है इस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी विचारणीय नहीं है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किया गया है और धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र भी सिर्फ अपीलान्ट क्रम 01 राजू के द्वारा पेश किया गया है । शेष अपीलान्टगण की ओर से न तो रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और न ही धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है ।

इन तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा